प्र/निग./मुरैना/भू.रा./2017/1572

(482)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मुरैना

श्री दिवाकर दीक्षित
द्वारा आज दि. 3-6-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अमर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप
निवासी – बंधा तहसील अम्बाह
जिला मुरैना (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

ग्याप्रसाद पुत्र श्री सुमैर प्रसाद
शर्मा निवासी – पलू का पुरा
मौजा गूंझ तहसील अम्बाह जिला
मुरैना (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 2781 पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम गूंझ तहसील अम्बाह जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2320, 2321, 2322, 2323 का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीक्षक भू–अभिलेख मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, उपरोक्त भूमि के सीमांकन किये जाने से पूर्व आस–पास के मेढिया कृषकों को सीमांकन के संबंध में कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया। और न ही उनके समक्ष किसी भी प्रकार का कोई सीमांकन ही किया गया ऐसी स्थिति में सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा तथाकथित एवं फर्जी होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1572

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	